मनोहरी देवी v/s सचिव भूदान वगैरे.

11–10–23	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उपस्थित पत्रावली पर स्थगन प्रार्थना पर बहस सुनी गई। अपीलांट् के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर लिखित बहस पेश करने का कथन किया गया। पत्रावली वास्ते पेश करने लिखित बहस दिनांक 16–10–23 को पेश हो।
16–10–23	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा लिखित बहस पेश की गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25–10–23 को पेश हो।
25–10–23	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 4 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 122/29 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि अपीलांट् द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से खरीद की गई भूमि है। अपीलांट् का वादग्रस्त भूमि पर खरीद की दिनांक से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि सम्पुष्ट सूची में नाम अंकित होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताया जा रहा है। अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोई किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 वादग्रस्त भूमि से अपीलांट् को बेदखल करने पर अमादा है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् की खरीदशुदा भूमि है तथा जिस पर अपीलांट् खरीद की दिनांक से ही काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित है। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए ही न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03–10–2023 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् स्थगन जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 03–10–2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपील के निर्णय तक कन्फर्म किया जावेस्। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कोई सरोकार नहीं है नाही उक्त भूमि पर अपीलांट् का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त ही रहा है। वादग्रस्त भूमि भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को विधिवत् आवंटित की गई है तथा आवंटन की दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट् द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा यह पाये जाने पर कि आराजी जैर से अपीलांट् का कोई सरोकार नहीं है, अपीलांट् का धारा 212 आरटी एक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलांट् वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार से हितबद्व पक्षकार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित नहीं है .नाही अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति ही कारित होनी है। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21–09–2023 से जिसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् का धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जोकि आराजी जैर का वर्ष 1993 से भू–दान यज्ञ बोर्ड का विधिवत आवंटी रहा है, से खरीद की गई भूमि है तथा खरीद की दिनांक से ही अपीलांट् वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का भी कथन है कि उक्त भूमि उसे भी भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा आवंटित भूमि है। इस प्रकार दोनों पक्षकारों द्वारा आराजी जैर का आवंटन होने का कथन किया जा रहा है। प्रकरण में हमने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए यह अभिलिखित किया गया है कि बाद बहस न्यायालय प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को खारिज करना न्यायोचित पाता है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज किया जाता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार धारा 212 आरटीएक्ट पर निर्णय पारित करते हुए धारा 212 आरटी एक्ट के आज्ञापक इन्ग्रिडेन्ट्स यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित किये बिना ही एक नोन स्पीकिंग एवं नोन रिजण्ड आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–09–2023 इसी स्तर पर निरस्त करते हुए अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों को दृष्टिगत् रखते हुए धारा 212 आरटी एक्ट के आज्ञापक इन्ग्रिडेन्ट्स यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण अंकित करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर